संख्या: 36/2018/3735/77-6-18-8 (डब्ल्यू) /11

प्रेषक,

अंकित कुमार अग्रवाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 02 नवम्बर, 2018

विषयः रिट याचिका संख्या-1760(एम.बी.)/2011 दि सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 के अनुपालन हेतु रू0 27.60 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र संख्या-182/विनि/लेखा/2018-19 दिनांक 17-09-2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-1760(एम.बी.)/2011 दि सेन्ट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टीज इम्पलाइज प्राविडेन्ट फण्ड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2018 के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित एस.एल.आर. बन्ध पत्र के ब्याज की धनराशि के भुगतान हेतु रू0 27. 60 करोड़ (रू0 सत्ताईस करोड़ साठ लाख मात्र) की धनराशि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

i उक्त धनराशि आहरित कर उ0प्र0 वित्तीय निगम को उपलब्ध करायी जाएगी।

ii उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा उक्त धनराशि से राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूतित उपर्युक्त एस.एल.आर. बन्ध पत्र के ब्याज की धनराशि का भुगतान तत्काल करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से शासन के औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6)/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाएगा।

iii भुगतान के पश्चात् तत्काल वस्तुस्थिति से मा. उच्च न्यायालय को अवगत कराया जाएगा।

iv स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।

v स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30-03-2018 एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस सम्बन्ध में जारी अन्य शासनादेश/कार्यालय ज्ञाप में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या-61 के लेखा शीर्षक 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-800-अन्य कर्ज-03-सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुनर्गठन के लिये ऋण सहायता-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

3- यह धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। ऋण की वापसी अधिकतम 07 (सात) वर्षो में की जायेगी, जिसमें 02 (दो) वर्ष का मारेटोरियम भी गुणदोष के आधार पर दिया जा सकता है।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-बी-4-108/x/2018 दिनांक 02.11.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या:36/2018/3735/77-6-18-8(डब्ल्यू)/11तद् दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद ।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
3- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर।
4- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग -6
8- नियोजन अनुभाग-1/4
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अंकित कुमार अग्रवाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।